RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

जनवरी-2016 | वर्ष - 07 | अंक : 12 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान इलाहाबाद), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार, मो.: 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सहायक ब्यूरो चीफ (उ.प्र.) : चन्द्रिका प्रसाद ओमर, 49ए/52-बी, ख्यौरा, आजाद नगर, कानपुर, मो.: 9305256450
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्दे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कन्नौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपावक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

नारी और प्रतिक्रांति

डा. बाबा साहेब अम्बेडकर सोर्स मैटिरियल पब्लिकेशन कमेटी को इस लेख की एक ऐसी प्रति उपलब्ध हुई, जिस पर शीर्षक 'दि वूमेन एंड दि काउंटर-रिवोल्यूशन' (नारी और प्रतिक्रांति) दिया हुआ है। इस लेख की दूसरी प्रति भी कमेटी को उपलब्ध हुई है, लेकिन उसका शीर्षक है 'दि रिडियल आफ दि वूमेन' (नारी एक पहेली)। कमेटी के सदस्यों का विचार है कि इस लेख को 'रिडिल्य इन हिंदूइज्म' (हिंदू धर्म की पहेलियां) शीर्षक से अगामी अंग्रेजी प्रकाशन के बजाय प्रस्तुत खंड में शामिल किया जाए, तो उचित होगा-संपादक

कहा जा सकता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, स्त्रियों के प्रति भी उसके विचार उतने ही अनुदार थे। स्त्रियों के प्रति हीन विचारों से वह आरंभ करता है। मनु घोषणा करता है :

2.213. इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरूषों को मोहित करता है। इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रहते।

2.214. क्योंकि स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं, बल्कि विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम हैं।

2.215. कोई किसी की माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में न बैठे क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती है और विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं।

9.14 स्त्रियां रूप की अपेक्षा नहीं करतीं, न उनका ध्यान आयु पर रहता है, वह सोचकर कि (यह ही पर्याप्त है कि) वह पुरूष है, सुंदर या कुरूप के साथ संभोग कर बैठती हैं।

2.15 इस संसार में उनकी चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए, पुरूषों के प्रति काम-भावना, अपनी चंचल प्रकृति और अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण वह अपने पति के प्रति निष्ठारहित हो जाती हैं।

9.16 उनका ऐसा स्वभाव जानकर, जो ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सृष्टि के समय दिया है, प्रत्येक मनुष्य को उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए।

9.17 मनु ने स्त्रियों की सृष्टि करते समय इनमें (अपनी) शैया, (अपने) स्थान और (अपने) आभूषणों के लिए प्रेम, वासना, क्रोध, बेईमानी, ईर्ष्या और दुराचरण निहित किया है।

स्त्रियों के प्रति मनु के ये नियम अकाट्य हैं। स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं हैं। मनु के मतानुसार:

9.2 स्त्रियां उनके परिवारों के पुरूषों द्वारा दिन-रात अधीन रखी जानी चाहिएं और यदि वे अपने को विषयों में आसक्त करें तो उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य रखें।

9.3 स्त्री की रक्षा उसके बचपन में उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति, जब उसका पति दिवंगत हो जाता है, वृद्धावस्था में उसके पुत्र (उसकी रक्षा करते हैं)। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है।

9.5 स्त्रियों की रक्षा विशेषकर दुष्प्रवृत्ति से की जानी चाहिए जो चाहे जितनी भी नगण्य (क्यों न प्रतीत हों), क्योंकि यदि उनकी रक्षा नहीं की गई तो वे दोनों परिवारों (पिता तथा पति के) क्लेश का कारण बन जाती है।

9.6 वर्णों का उत्तम धर्म समझते हुए, दुर्बल पतियों को भी अपनी पत्नी की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

5.147 लड़की को, नवयुवती को या वृद्धा को भी अपने घर में कोई काम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए।

5.148 स्त्री को बचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति और जब उसका पति दिवंगत हो जाए तब अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।

5.149 स्त्री को अपने पिता, पति या पुत्रों से अपने को अलग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इनको त्याग कर वह दोनों परिवारों (उसका अपना परिवार और पति का परिवार) को निंदित कर देती है।

स्त्री को अपने पति को छोड़ देने का अधिकार नहीं मिल सकता।

9.45 पति अपनी पत्नी के साथ एक इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री एक बार विवाहित होने के बाद, कोई विच्छेद नहीं हो सकता।

बहुत से हिंदू यहीं रूक जाते हैं, जैसे विवाह-विच्छेद के बारे में मनु के नियम का यही सार-तत्व हो और इसे आदर्श कहते हैं। वह यह सोचकर अपने विवेक पर पर्दा डाल देते हैं की कि मनु ने विवाह को संस्कार की तरह माना है और इसलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। यह बात निश्चय ही सत्य से कोसों दूर हैं। मनु के विच्छेद-नियम का बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। वह पुरूष को स्त्री से बांध देने की बात नहीं, बल्कि यह स्त्री को पुरूष से बांध देने और पुरूष को स्वतंत्र रखने की बात थी, क्योंकि मनु पुरूष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता। वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की ही अनुमति नहीं, बल्कि उसे बेच देने की भी अनुमति देता है। वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है। देखिए मनु क्या कहता है:

9.46 बेचने और त्याग देने से कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं होती।

इसका अर्थ यह है कि कोई स्त्री बेचे या त्याग दिए जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की, जिसने उसे खरीद लिया है या त्याग देने के बाद प्राप्त किया है, वैध पत्नी नहीं हो सकती। अगर यह असंगत नहीं है तो कुछ भी असंगत नहीं हो सकता। लेकिन मनु अपने नियम के परिणामस्वरूप होने वाले न्याय या अन्याय के बारे में चिंतित नहीं था। वह स्त्री को उस स्वत्रता से वंचित कर देना चाहता था, जो उसे बौद्धकाल में थी। वह यह जानता था कि स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने या शूद्र के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्ण-व्यवस्था नष्ट हो गई थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसने उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया।

संपत्ति के मामले में पत्नी का स्थान मनु द्वारा दास के स्तर पर लाकर पटक दिया गया।

8.416. पत्नी, पुत्र और दास, इन तीनों के पास कोई संपत्ति नहीं हो; वे जो संपत्ति अर्जित करें, वह उसकी होती है, जिसकी वह पत्नी या पुत्र या दास है।

अगर वह विधवा हो जाए, तब मनु उसके लिए निर्वाह-व्यय की अनुमति देता है और अगर उसका पति

अपने परिवार से अलग था, तब उसे उसके पति की संपत्ति में से विधवा को भूसंपत्ति का अधिकार देता है लेकिन मनु उसे संपत्ति पर अधिकार की अनुमति नहीं देता।

मनु के नियमों के अधीन स्त्री को शारीरिक दंड दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने–पीटने की अनुमति देता है:

8.299. स्त्री, पुत्र, दास और सहोदर यदि अपराध करें तब रस्सी से या बांस की छड़ी से मारना चाहिए।

अन्य पारिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेद का अध्ययन मनु द्वारा उसे उसी प्रकार निषिद्ध है जिस प्रकार शूद्र को।

2.66. स्त्री के लिए भी सभी संस्कारों का किया जाना जरूरी है और वे किए जाने चाहिए। लेकिन ये वेदमंत्रों के बिना किए जाने चाहिए।

9.18. स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ उपयोगी है। चूंकि स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकतीं, वे उसी प्रकार अपवित्र हैं, जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है।

ब्राह्मण धर्म के अनुसार, यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता। मनु निर्देश देता है:

11.36. स्त्री वेद विहित दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेगी।

11.37. यदि वह करती है, तब वह नरक में जाएगी।

मनु स्त्रियों को ब्राह्मण, पुरोहितों की सहायता व उनकी सेवा ग्रहण करने से वर्जित करता है, जिससे वह यज्ञ कर्म न कर सकें।

4.205. ब्राह्मण उस यज्ञकर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करें, जो किसी स्त्री द्वारा किया गया हो।

4.206. जो यज्ञ कर्म स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, वे अशुभ और देवताओं को अस्वीकार्य होते हैं। अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिए।

स्त्रियों को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए। उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। वह कोई अन्य धर्म, जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकतीं। यदि वह आजीवन उसका पालन करती है, तब उन्हें जल का तर्पण नहीं किया जाएगा, जो अन्य मृतकों के लिए किया जाता है।

अंत में जीवन के उस आदर्श को भी देखिए, जो मनु स्त्रियों के लिए निर्धारित करता है। इसे उसी के शब्दों में कहना उचित होगा:

5.151. वह आजीवन उसकी (पति की) आज्ञा का अनुपालन करेगी जिसे उसका पिता या उसका भाई अपने पिता की अनुमति से उसे सौंप देगा, और जब वह दिवंगत हो जाए तब वह उसके श्राद्ध आदि कर्म का उल्लघंन नहीं करेगी।

5.154 चाहे पति सदाचार से हीन हो, या वह अन्य में आसक्त हो या वह सद्गुणों से हीन हो, तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होता है।

5.155. स्त्री पति के पृथक कोई यज्ञ, कोई व्रत या उपवास न करे यदि स्त्री अपने पति का अनुपालन करती है, तब वह इस कारण ही स्वर्ग में पूजित होती है।

अब उन विशिष्ट सूत्रों पर ध्यान दीजिए जो उस आदर्श के मानों आधार हैं, जिसे मनु स्त्रियों के लिए प्रस्तुत करता है :

5.153. जिस पति ने किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बाद वरण किया है, वह उसके लिए ऋतुभिन्न–काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में सुख देने वाला होता है।

5.150. उसे सर्वदा प्रसन्न, गृह कार्य में चतुर, घर के बर्तनों को स्वच्छ रखने में सावधान तथा खर्च करने में मितव्ययी होना चाहिए।

अब जरा, मनु के समय से पूर्व नारी की जो स्थिति थी, उससे इसकी तुलना तो कीजिए। अर्थवेद से यह स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। कहा गया है कि नारी ब्रह्मचर्य की अवस्था पूरी करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है। श्रौत सूत्र से यह स्पष्ट है कि नारी वेद मंत्रों का अनुपाठ कर सकती थी और उसे वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नारियां गुरूकुलों में जाती थी और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थीं और वे मीमांसा में प्रवीण होती थीं। पतंजलि के महाभाष्य का कहना है कि नारियां शिक्षक होती थीं और बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराती थीं। धर्म, आध्यात्म और तत्व मीमांसा के कठिन से कठिन विषयों पर पुरूषों के साथ नारियों के शास्त्रार्थ करने के प्रसंग भी कम नहीं मिलेंगे। जनक और सुलभ, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विद्याधरी के बीच शास्त्रार्थ की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनु के पूर्व नारियां शिक्षा और ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थीं।

मनु से पूर्व नारी को बहुत सम्मान दिया जाता था, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में राजाओं के राज्याभिषेक के समय में जिन स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उनमें रानी भी होती थी। राजा दूसरों की भांति रानी को भी वर प्रदान करता था। राज्यभिषेक के पूर्व चयनित राजा केवल रानी की ही नहीं वरन् वह नीची जाति की अपनी अन्य पत्नियों की भी स्तुति करता था। इसी प्रकार वह राज्याभिषेक के बाद अपने प्रमुख शासनाधिकारियों की पत्नियों का भी अभिवादन करता था।

कौटिल्य के युग में नारी बारह वर्ष की अवस्था में और पुरूष सोलह वर्ष की अवस्था में वयस्क माने जाते थे। यही आयु विवाह की आयु मानी जाती थी। बौद्धायन के गृह सूत्र में कहा गया है कि कन्या वयःसंधि के बाद विवाह योग्य हो जाती है और विवाह के समय जब वह रजःस्वला हो, तब प्रायश्चित कर्म का विशेष विधान किया गया है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्री–पुरूष के संभोग के लिए आयु के संबंध में कोई नियम नहीं है। इसका कारण यह है कि विवाह वयःसंधि की अवस्था के बाद होता था। उनकी अधिक चिंता ऐसी घटनाओं को लेकर थी, जिनमें वर–वधू का विवाह हो जाता है और यह बात छिपा ली जाती है कि उन्होंने विवाह से पहले किसी दूसरे के साथ संभोग किया था, या रजःस्वला वधू संभोग कर चुकी है। पहली स्थिति के संबंध में कौटिल्य कहते हैं।

'यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह यह बिना बताए कर दिया कि उसकी पुत्री का किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध था, तब उस पर न केवल आर्थिक दंड निर्धारित किया जाए, बल्कि उसे शुल्क और स्त्री धन भी लौटाना होगा। यदि कोई पुरूष यह बताए बिना किसी कन्या से विवाह करता है कि उसके किसी अन्य नारी से शारीरिक संबंध थे तो वह न केवल उक्त आर्थिक दंड का दुगना धन दंड स्वरूप देगा, बल्कि जो शुल्क और स्त्री धन उसने वधू को दिया है, वह भी जबत हो जाएगा। दूसरे मामले में कौटिल्य का नियम इस प्रकार है:

'यदि कोई व्यक्ति अपनी समान जाति और श्रेणी की ऐसी नारी से संभोग करता है जो पहली बार रजःस्वला होने के बाद तीन वर्ष से अविवाहित है, तो उसका यह कर्म अपराध नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई अपनी जाति से भिन्न जाति की ऐसी नारी के साथ संभोग करता है जो पहली बार रजःस्वला होने के बाद तीन वर्ष से अविवाहित है और उसके पास आभूषणादि नहीं हैं, तब यह कर्म कोई अपराध नहीं है।'

मनु के विपरीत कौटिल्य एक विवाह–प्रथा की व्यवस्था करता है। पुरूष कुछ ही परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकता है। कौटिल्य ने इसकी शर्तें बताई हैं जो निम्निलिखित हैं :

'यदि कोई नारी (जीवित) बालक को जन्म नहीं दे पाती है, या जिसके पुत्र नहीं है, अथवा कोई स्त्री बांझ है, तो उसका पति दूसरा विवाह करने से पूर्व आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि कोई नारी मृत बालक को जन्म देती है तो उसे दस वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वह केवल पुत्रियों को ही जन्म देती है तो उसे 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब यदि वह पुत्र की कामना करता हो तो वह दूसरा विवाह कर सकता है। इस नियम के उल्लंघन पर उसे स्त्री को न केवल शुल्क और उसका स्त्री–धन देना और आर्थिक क्षतिपूर्ति करनी होगी, बल्कि उसे राज्य को 24 पण दंड स्वरूप भी देने होंगे। अपनी पत्नियों को अनुपातिक क्षतिपूर्ति और समुचित वृत्ति देने के बाद वह कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, क्योंकि स्त्री का जन्म पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है।

मनु के विपरीत कौटिल्य के युग में नारी अपने पति के साथ परस्पर वैर और घृणा होने के कारण विवाह–विच्छेद कर सकती थी।

'जो नारी अपने पति से घृणा करती है, वह उस पति की इच्छा के विरूद्ध अपना विवाह संबंध नहीं तोड़ सकती। वह पति भी अपनी इच्छा से अपनी स्त्री की इच्छा के बिना उसका परित्याग नहीं कर सकता। परंतु परस्पर वैर होने पर विवाह–विच्छेद होता है। यदि एक पुरूष अपनी पत्नी से खतरा अनुभव करता है और उससे विवाह विच्छेद करना चाहता है तो वह उसे वह संपत्ति देगा, जो उसे नारी के विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई थी। यदि कोई नारी अपने पति से खतरा अनुभव करती है और उससे विवाह–विच्छेद करना चाहती है तो उसका अपनी संपत्ति पर कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। प्रत्येक पत्नी अपना विवाह–विच्छेद कर सकती है, यदि उसका पति दुश्चरित्र है।

'जिस नारी को अनिश्चित काल तक भरण–पोषण मिलने का अधिकार है, उसे उसकी आवश्यकतानुसार या उसकी आय के अनुपात में अधिक आवश्यकतानुसार अन्न और वस्त्र उपलब्ध कराए जाएं। यदि यह अवधि जिसमें वे वस्तुएं और इसके अलावा धन–राशि का 1/10 भाग भी दिया जाना सीमित है, तो धन का एक निश्चित भाग जो भर्ता की आयु के अनुपात में निश्चित किया गया हो, वह उस नारी को दिया जाए, बशर्ते उसे शुल्क (जो उसे उसके पति को पुनर्विवाह की अनुमति के कारण देय है) स्त्रीधन और क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गयी हो। यदि वह अपने श्वसुर–कुल के किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहती है, अथवा वह स्वतंत्र रहना आरंभ कर देती है, तब उसके भरण–पोषण के लिए उसके पति पर दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरण–पोषण का निर्धारण होता है।'

कौटिल्य के समय में किसी नारी अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

'यदि कोई नारी अपने पति की मृत्यु के बाद धर्मपरायण जीवनयापन करना चाहती है, तो वह तुरंत न केवल अपनी स्थाई निधि और स्त्री धन को प्राप्त करेगी, बल्कि देय शुल्क बकाया भी प्राप्त करेगी। यदि इन दोनों को प्राप्त करने के बाद वह पुनर्विवाह कर लेती है, तो उस नारी को इन दोनों को (उनके मुल्य पर) ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि वह दूसरा विवाह करना चाहती है, तो उसको पुनर्विवाह के समय वह सब दिया जाएगा, जो उसे उसके श्वसुर या उसके पति अथवा दोनों ने दिया था। नारियां कब पुनर्विवाह कर सकती है, वह अपने–अपने पतियों के साथ बिताए गए दीर्घ समय के बारे में स्पष्ट किया जाएगा।

'यदि कोई विधवा अपने श्वसुर द्वारा चुने गए पुरूष के बजाए किसी अन्य पुरूष के साथ विवाह करती है, तो वह उस संपत्ति से वंचित हो जाएगी, जो उसे अपने श्वसुर अथवा मृत पति से प्राप्त हुई होगी।

'जब कोई नारी किसी जाति (नातेदार) से पुनर्विवाह करती है, तब उस पति के जाति (नातेदार) उसके पुराने श्वसुर को वह सब संपत्ति लौटा देंगे जो उस नारी की अपनी होती थी। जो किसी नारी को न्यायतः अपने संरक्षण में लेता है, वह उसकी संपत्ति का भी संरक्षण करेगा। जो नारी पुनर्विवाह करती है, वह अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार करने में सफल नहीं होगी। धर्मपरायण जीवन व्यतीत करती है, तो उसे ऐसा अधिकार होगा। कोई भी नारी पुत्र या पुत्रों सहित (पुनर्विवाह करने के बाद) अपनी संपत्ति (स्त्री धन) का स्वेच्छापूर्वक उपयोग करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके पुत्रों को प्राप्त होगी।

'यदि कोई नारी पुनर्विवाह के पश्चात इस तर्क पर अपनी संपत्ति लेना चाहे कि उसे अपने पुत्रों का भरण पोषण करना है जो उसने अपने पूर्व पति से जन्मे थे, तो उसे वह संपत्ति उनके नाम करनी होगी। यदि किसी नारी के कई पुत्र हों और वे कई पतियों से उत्पन्न हुए हों, तो वह अपनी संपत्ति पर वैसे ही अधिकार कर सकती है, जैसे कि वह उसे अपने पतियों से प्राप्त हुई हो। जो नारी पुनः

विवाह करती है, वह उस संपत्ति को भी अपने पुत्रों के नाम करेगी, जो उसे पूर्ण अधिकार सहित प्राप्त हुई है।

'जो बांझ विधवा अपने मृत पति में आस्था रखती है, वह अपने गुरू के संरक्षण में रहकर आजीवन अपनी संपत्ति का उपभोग कर सकती है, जिससे उसे उन आपदाओं का सामना न करना पड़े, जो नारियों को संपत्ति के संबंध में झेलनी पड़ती हैं। उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति, उसके दायदा को प्राप्त होगी। यदि उसका पति जीवित है और पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो उस नारी के पुत्र और पुत्रियां आपस में संपत्ति का विभाजन करेंगे। यदि पुत्र नहीं है तो वह संपत्ति उसकी पुत्रियों को मिलेगी। यदि पुत्री भी न हो, तो उसका पति वह संपत्ति (शुल्क) प्राप्त करेगा जो उसने अपनी पत्नी को दिया हो और उसके संबंधी उस सामग्री को प्राप्त करेंगे जो उन्होंने दान अथवा दहेज के रूप में उसे दी थी। इस प्रकार नारी की संपत्ति के निर्धारण की व्यवस्था की गई है।

'शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की जो पत्नियां हैं और जिनके संतान उत्पन्न नहीं हुई हैं वे क्रमशः एक, दो, तीन और चार वर्ष तक प्रतीक्षा करें क्योंकि उनके पति अल्प समय के लिए परदेश गए हुए हैं और जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया हो, वे अपने अनुपस्थित पति की एक एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करें। यदि उन्हें भरण पोषण की राशि दी गई हो तो उन्हें उक्त अवधि से दुगने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए यदि उन्हें भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उनके संपन्न जाति (नातेदारों) को उनका भरण–पोषण चार से आठ वर्ष तक करना चाहिए। तब परिजन को चाहिए कि वह उनसे उस संपत्ति को वापस लेकर विवाह के लिए मुक्त कर दें, जो उन्हें विवाह के अवसर पर प्रदान की गई थी। यदि पति ब्राह्मण है और वह परदेश में अध्ययन कर रहा है तो उसकी पत्नी को जिसके कोई बच्चा नहीं है, उसकी प्रतीक्षा दस वर्ष तक करनी चाहिए। किंतु यदि उसके बच्चे हैं, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि कोई पति राजा का कर्मचारी है तो उसकी पत्नी, उसकी आजीवन प्रतीक्षा करे और यदि उसने किसी सवर्ण (अर्थात दूसरा पति जो उसी गोत्र का है जिसका पूर्व पति था) से संतान का जन्म दिया है, जिससे उसका (नारी का) वंश समाप्त होने से बच जाए, तो वह नारी ऐसा करने से निंदा की पात्र नहीं होगी। यदि अनुपस्थित पति की पत्नी के पास भरण–पोषण नहीं है और उसके संपन्न जाति (नातेदारों) ने उसकी उपेक्षा कर दी है तो उस पुरूष के साथ अपना पुनर्विवाह कर सकती है, जिसे वह पसंद करती है तथा जो उसका भरण–पोषण कर सकता हो, उसे कष्टों से मुक्ति दिला सकता हो।'

यहां मनु के विपरीत विवाहिता नारी को आर्थिक स्वाधीनता सुनिश्चित की गई थी। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पत्नी की स्थाई निधि और भरण पोषण के संबंध में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

'जिसे नारी की संपत्ति कहा जाता है, उसमें जीविका के साधन (वृत्ति) या आभूषण (अवध्य) शामिल हैं। जीविका के जिन साधनों का मूल्य दो हजार से अधिक है, वह (उसके नाम) स्थाई निधि है। आभूषणों की कोई सीमा नहीं है। यदि कोई पत्नी संपत्ति का उपयोग अपने पुत्र, अपनी पुत्र–वधू और स्वयं पर करती है और जबकि पति ने उसके भरण–पोषण का कोई प्रबंध न किया हो, तब वह किसी अपराध की भागी नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा, व्याधि और अकाल के समय खतरों से बचने के लिए और दान–दक्षिणा के लिए पति भी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। जिस दंपति के जुडवां बच्चे हुए हों, वह यदि परस्पर सहमति से इस संपत्ति का उपयोग करें, तो इनमें से किसी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं होगी। तब भी किसी शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब इस संपत्ति का उपयोग तीन वर्ष तक उन लोगों ने किया हो, जिनका विवाह पहली चार पद्धतियों के अनुसार हुआ हो, किंतु गंधर्व विवाह और असुर विवाह होने पर यह संपत्ति ब्याज सहित लौटानी होगी। राक्षस और पिशाच विवाह के संदर्भ में यह संपत्ति चोरी की संपत्ति समझी जाएगी।

'जिस नारी को अनिश्चित–काल तक भरण–पोषण मिलने का अधिकार है, उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार अन्न और वस्त्र या भर्ता की आयु के अनुपात में हो तो अधिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाएं। यदि वह अवधि, जिसमें वस्तुएं और इसके अलावा धनराशि का 1/10 भाग भी दिया जाना है) सीमित है तब धन का एक निश्चित भाग जो भर्ता की आय के अनुसार निश्चित किया गया हो, तो वह उस नारी को दिया जाए, बशर्ते उसे शुक्ल जो उसे उसके पति की अनुमति के अनुसार देना है स्त्रीधन क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है। यदि वह अपने श्वसुर कुल के किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहती है अथवा वह स्वतंत्र रहना आरंभ कर देती है, उसके भरण–पोषण के लिए उसके पति का दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरण–पोषण का निर्धारण होता है।'

क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि कौटिल्य के समय में कोई पत्नी अपने पति के विरूद्ध प्रताड़ना और मानहानि होने पर अदालत में जा सकती थी।

संक्षेप में, मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरूष की समान भागीदार थी। मनु ने उसे पदावनत क्यों किया?

साभार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–7, पृष्ठ सं. 330 से 339
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

उन्नीसवीं पहेली– पितृत्व से मातृत्व की ओरः ब्राह्मणों को इससे क्या मिला?

हिंदू विधान पर अपने शोध प्रबंध में मयने ने संकेत दिया है कि सगोत्रता विधान में कुछ विसंगतियां हैं। उनका कथन है:

हिंदू विधान में इतनी विसंगतियां और कहीं नहीं हैं, जितनी पारिवारिक संबंधों के प्रसंग में हैं। इससे न केवल प्राचीन समाज और आधुनिक समाज के बीच में निरंतरता पूर्णतया छिन्न–भिन्न हो गई है बल्कि प्राचीन व्यवस्था की विभिन्न प्रणालियों के बीच प्रत्यक्ष टकराव भी दृष्टिगोचर होता है। उसमें एक उत्तराधिकार विधान है, जिसमें अविरल चौदह पीढ़ियों तक पुरूष पूर्वज की संभावना का अनुमान किया जाता है। साथ ही कुटुम्ब–विधान है जिसमें कतिपय स्वीकृत पद्धतियां शील भ्रष्टीकरण और बलात्कार के प्रति मात्र प्रियोक्तियां हैं। जहां बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता है और इनमें से अधिकांश का पिता से कोई रक्त–संबंध नहीं होता।

इन विसंगतियों का अस्तित्व वास्तव में विद्यमान है जो हिन्दू–विवाह तथा पितृत्व विधान का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगा।

हिन्दू विधान में आठ प्रकार के विवाहों को मान्यता है उनके नाम इस प्रकार हैं:

1. ब्रह्म 2. देव, 3. आर्ष, 4. प्रजापात्य 5. आसुर, 6. गंधर्व, 7. राक्षस और 8. पिशाच।

ब्रह्म विवाह के अनुसार किसी वेद ज्ञाता को वस्त्रालंकृत पुत्री उपहार में दे दी जाती थी जिसे उसका पिता स्वेच्छा से आमंत्रित करके उसकी सम्मानपूर्वक अगवानी करता था।

देव–विवाह वह था जब कोई पिता अपने घर यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणास्वरूप अपनी पुत्री दान कर देता था।

आर्ष विवाह के अनुसार वर वधू के पिता को उसका मूल्य चुका कर प्राप्त करता था।

प्रजापात्य विवाह का अर्थ है, वर द्वारा वधू के पिता से पुत्री प्रदान करने का आग्रह।

प्रजापात्य और ब्रह्म विवाह में अंतर यह था कि एक में पिता द्वारा पुत्री को उपहारस्वरूप तो दे दिया जाता था किन्तु इसके लिए आग्रह की आवश्यकता थी। आसुर विवाह वह था, जब वर–वधू के पिता और इसके संबंधियों को उनकी पुत्री के बदले क्षमता भर सम्पत्ति देता था और पुत्री को भी धन दिया जाता था। आर्ष और आसुर विवाह के मध्य कोई अंतर नहीं था। दोनों में पुत्री बेची जाती थी। अंतर मात्र इतना था कि आर्ष में पुत्री का मूल्य निश्चित किया जाता था जबकि आसुर विवाह में मूल्य निश्चित नहीं किया जाता था।

गंधर्व विवाह से आशय यह है जिसमें अधार्मिक तथा इन्द्रिय सुख हेतु परस्पर सहमति से विवाह होता था। राक्षस विवाह उसे कहते थे जब किसी कन्या को वर–पक्ष वाले बरबस उठा ले जाते थे। जब वह सहायता के लिए रोती–चिल्लाती थी तो उसका घर ध्वस्त करा दिया जाता और उसके परिजन और उनके मित्रों को युद्ध में आहत कर दिया जाता था अथवा उनका वध कर दिया जाता था।

पिशाच विवाह का अर्थ है किसी कन्या के साथ बलात्कार, जबकि वह निद्रामग्न हो अथवा उसे अतिमादक मदिरा पिलाकर उसकी बुद्धि का हरण कर लिया गया हो।

हिन्दू विधान के अनुसार तेरह प्रकार के पुत्र होते थे। 1. औरस, 2. क्षेत्रज, 3. पुत्रिका पुत्र, 4. कानीन, 5. गुह्यज, 6. पुनर्भव, 7. सहोदज, 8. दत्तक, 9. कृत्रिम, 10. क्रीत, 11. अपविध, 12. स्वयंदत्त, और 13. निषाद।

औरस पुत्र वे होते थे जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वैध पत्नी से उत्पन्न किए जाते थे।

"पुत्रिकापुत्र" से आशय है, पुत्री से उत्पन्न पुत्र। इसका महत्व यह है कि इस प्रथा के अनुसार कोई पिता, जिसका अपना पुत्र नहीं होता था, वह अपनी पुत्री से किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र उत्पन्न कराता था। यदि इस शारीरिक संबंध के कारण इस कन्या को पुत्र प्राप्त हो जाता था तो वह बालक पुत्रीका पुत्र कहा जाता है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था कि अपनी पुत्री का विवाह कर देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति हेतु उसे विवश कर सकता था कि उसकी पुत्री उसके द्वारा नियत पुरूष के साथ संभोग करे। इसी कारण यह चेतावनी दी जाती थी कि उस कन्या के साथ विवाह न किया जाए, जिसके भ्राता न हों।

क्षेत्रज के शब्दार्थ और भावार्थ समान हैं। इसका अर्थ है– क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र–क्षेत्र का अर्थ है पत्नी। हिंदू आदर्शों के अनुरूप स्त्री खेत के समान है और पति उस खेत का स्वामी है। यदि पति की मृत्यु हो जाती थी अथवा वह जीवित होता था परन्तु नपुंसक होता था अथवा उसे असाध्य रोग होता था तो उसका भ्राता अथवा अन्य सपिण्ड व्यक्ति उससे पुत्र उत्पन्न कर सकता था। इस प्रथा को "नियोग" कहते थे। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र "क्षेत्रज" कहलाता था।

यदि कन्या अपने पिता के घर अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो जाती और किसी पुत्र को जन्म देती और यदि फिर उसका विवाह हो जाए तो विवाह पूर्व जन्मे पुत्र पर उसके पति का अधिकार हो जाता है जो "कानीन" कहलाता था।

"गुह्यज" वे पुत्र होते थे, जब किसी स्त्री के अपने पति के संबंध तो हों, परन्तु यह समझना कठिन हो कि पुत्र उसी का है अर्थात जहां यह संदेह हो कि पुत्र अनाचार का परिणाम है। जब इस बात का साक्ष्य न हो तो अनुमान के आधार पर वह पुत्र उस स्त्री के पति का होता है। वह इसी कारण 'गह्यज' कहलाता है कि उसका पिता संदिग्ध है।

"सहोदज" वे पुत्र होते थे जब कोई कन्या अपने विवाह के समय गर्भवती होती थी और यह निश्चय नहीं होता था कि पुत्र उसके पति का है जिसके उस कन्या के साथ पहले से ही शारीरिक संबंध होते थे अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का बीज है। परन्तु यह निश्चित था "सहोदज" उस गर्भवती स्त्री से उस व्यक्ति का उत्पन्न पुत्र माना जाता था जिसके साथ उस कन्या का विवाह होता था। "पुनर्भव" उस स्त्री का पुत्र है जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो और वह अन्य के साथ सहवास के पश्चात पुनः अपने घर आ गई हो। इससे ऐसी स्त्री के पुत्र

का भी बोध होता है जो एक नपुंसक, अस्पृश्य, अथवा पागल या मृत पति के बाद दूसरा पति चुन लेती है।

"पारासव" वे पुत्र होते थे जो किसी ब्राह्मण द्वारा शूद्र नारी से उत्पन्न किए जाते थे। शेष पुत्र गोद लिए गए पुत्र होते थे जिन पर पितृत्व अधिकार होता था।

"दत्तक" ऐसा पुत्र है जिसे उसके माता–पिता किसी को दे देते थे। उसे प्राप्तकर्ता का पुत्र माना जाता था।

"कृत्रिम" पुत्र का अर्थ है केवल प्राप्तकर्ता की इच्छा से प्राप्त पुत्र। 'क्रीत' ऐसा पुत्र, जिसे उसके अभिभावकों से क्रय किया जाता था।

"अपविध" ऐसा पुत्र है जिसका उसके जनक परित्याग कर दे और पुनः गोद ले लें और अपना पुत्र मान लें।

"स्वयंदत्त" ऐसा पुत्र है जिसे उसके जनक त्याग दें और वह किसी से यह कहकर आश्रय मांगे कि "मुझे अपना पुत्र बनाओ"। यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो पुत्र माना जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि विवाह की कई प्रणालियां शील भ्रष्टीकरण और बलात्कार प्रियोक्तियां हैं और कई पुत्रों का अपने पिता से कोई रक्त संबंध नहीं होता था। मनु के समय तक ये विभिन्न प्रकार के विवाह और पुत्र वैध माने जाते थे और मनु ने जो परिवर्तन किए है वे मामूली हैं। जहां तक विवाहों का संबंध है मनु ने उन्हे अवैध घोषित नहीं किया। उन्होंने मात्र इतना कहा है कि आठ में से प्रथम छह ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापात्य, असुर, गंधर्व–राक्षस और पिशाच, क्षत्रिय के लिए वैध हैं और तीन–असुर, गंधर्व और पिशाच वैश्य और शूद्र के लिए वैध है।

इसी प्रकार के बारह प्रकार के पुत्रों में से किसी की भी श्रेणी विलग नहीं करता। इसके विपरीत वे, उन्हें परिजन स्वीकार करते हैं। उन्होंने मात्र इतना परिवर्तन किया है कि उत्तराधिकार–नियम को बदल दिया है और उनके दो वर्ग कर दिए: 1. उत्तराधिकारी तथा परिजन, और 2. परिजन, किन्तु उत्ताधिकारी नहीं। वह कहते हैं:

159. किसी का वैध पुत्र वह है जो उसने अपनी पत्नी से उत्पन्न किया हो, दत्तक पुत्र ही मान लिया गया पुत्र हो, गुह्य पुत्र, और उत्पन्न कराया गया पुत्र हो। यही छह उत्तराधिकारी या परिजन होने के पात्र हैं।

160. एक अविवाहित किशोरी से उत्पन्न पुत्र, पत्नी के साथ सहवास से प्राप्त पुत्र, पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, स्वयं प्राप्त पुत्र और शूद्र स्त्री से प्राप्त पुत्र ऐसे पुत्र है, जिन्हें उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता किन्तु सगोत्री हैं।

162. यदि किसी पुरूष के दो उत्ताधिकारी पुत्र हैं और एक पुत्र उसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ है, प्रत्येक (दोनों पुत्रों में से) दूसरे के वंचित हो जाने पर अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी है।

163. किसी व्यक्ति का पुत्र ही पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी है किन्तु कटुता से बचने के लिए दूसरे को निर्वाह साधन उपलब्ध कराए जाएं।

सगोत्रता विधान का एक और अंग है जिसमें बहुत परिवर्तन किए गए हैं किन्तु जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वह है बालक का वर्ण निर्धारण। बालक का वर्ण क्या हो? उसे पिता का वर्ण मिलता है या माता का। मनु से पूर्व पिता का माना जाता था, माता के वर्ण का कोई महत्व नहीं था। इस संबंध में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस शोध की पुष्टि करते हैं।

	पिता		माता		बालक	
	नाम	वर्ण	नाम	वर्ण	नाम	वर्ण
1.	शांतनु	क्षत्रिय	गंगा	अज्ञात	भीष्म	क्षत्रिय
2.	पराशर	ब्राह्मण	मत्स्यगंधा	मछेरा	कृष्णद्वैपायन	ब्राह्मण
3.	वशिष्ठ	ब्राह्मण	अक्षमाला	–	पायन	–
4.	शांतनु	क्षत्रिय	मत्स्यगंधा	मछेरा	विचित्रवीर्य	क्षत्रिय
5.	विश्वामित्र	क्षत्रिय	मेनका	अप्सरा	शकुंतला	क्षत्रिय
6.	ययाति	क्षत्रिय	देवयानी	ब्राह्मण	यदु	क्षत्रिय
7.	ययाति	क्षत्रिय	शर्मिष्ठा	आसुरी	द्रुह्य	क्षत्रिय
8.	जरत्कारू	ब्राह्मण	जरत्कारी	भाग	आस्तीक	ब्राह्मण

मनु क्या करते हैं? संतान के वर्ण–निर्णय संबंधी विधान में मनु के परिवर्तन क्रांतिकारी हैं। मनु ने निम्नांकित नियम निर्धारित किए:

5. "सभी वर्णों में वे संतान, जिनका जन्म सहज विवाहित पत्नियों से होता है जो उसी वर्ण की कन्या रही हों, वे उसी वर्ण (जो पिता का है) के माने जाएंगे।

6. "द्विज द्वारा उस पत्नी से उत्पन्न संतान, जो एक वर्ण नीचे की हो, वे भी (अपने पिता के समान) वर्ण में गिने जाएंगे भले ही माता के दोष उसमें रहे हों।"

14. द्विजों के वे पुत्र, जो एक वर्ण नीचे की पत्नियों से उत्पन्न होंगे, जिनको उसी क्रम में गिना गया है, मातृ दोष के कारण अनन्तर (एक वर्ण नीचे) समझे जायेंगे।"

41. "(आर्यों से) उत्पन्न छह पुत्र, जो समान अथवा एक वर्ण नीचे की पत्नियों से जन्मेंगे, उनके कर्तव्य द्विजों के समान होगें परन्तु जिनका जन्म नियमोल्लंघन से होता होगा, कर्तव्य के संबंध में वे शूद्रवत होंगे।"

मनु से निम्नांकित भिन्नताएं नियत की हैं:

1. जहां पिता और माता समान वर्ण के हों।

2. जहां माता का वर्ण पिता से एक वर्ण निम्न हो जैसे ब्राह्मण पिता, क्षत्रिय माता क्षत्रिय पिता, वैश्य माता और वैश्य पिता और शूद्र माता।

3. जहां माता का वर्ण पिता से एकाधिक वर्ण नीचे हो जैसे ब्राह्मण पिता और वैश्य अथवा शूद्र माता, और क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता।

पहली श्रेणी में संतान का वर्ण पिता का वर्ण होगा। दूसरी श्रेणी में भी पिता का वर्ण ही मिलेगा। परन्तु तीसरी श्रेणी में उन्हें पितृ वर्ण नहीं मिलेगा। मनु ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पिता का वर्ण नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा वर्ण मिलेगा? परन्तु मनु के सभी भाष्यकार मेधातिथि, कुल्कुल भट्ट, नारद और नंदपण्डित कहते हैं यह स्पष्ट है कि ऐसी संतानों को माता का वर्ण दिया जाएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनु के पितृवर्ण को मातृवर्ण में परिवर्तित कर दिया।

यह एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन हैं। यह एक दुखद स्थिति है कि जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि प्रचलित विवाह पद्धतियां, पुत्रों की श्रेणियां, अनुलोम विवाह और पितृ वर्ण के सिद्धांत का औचित्य, वर्ण व्यवस्था जबकि ब्राह्मणों की इच्छा थी कि वह बंद पद्धति रहे एक मुक्त व्यवस्था बनी रही। कहा जाय तो वर्ण–व्यवस्था में अनेक छिद्र थे। वर्ण–व्यवस्था से विवाह पद्धतियों का कोई संबंध नहीं था। राक्षस और पैशाच विवाहों में, विवाह की हर संभावनाओं के परिपेक्ष्य में पुरूष निम्न वर्ण के थे और स्त्रियां उच्च वर्ण से संबंधित थीं।

पुत्रत्व विधान में भी अत्यंत दोष थे क्योंकि शूद्रों के पुत्र ब्राह्मण बन सकते थे। उदाहरणार्थ, गुह्यज, सहोदज, कानीन। कौन कहता है कि ये शूद्र से अथवा ब्राह्मण से क्षत्रिय या वैश्य से उत्पन्न हुए हैं? ये सन्देह अनुलोम प्रथा से संभव थे, जिसमें यह कानूनी मान्यता थी जो पितृवर्ण प्रथा से संबद्ध थी, जिसके अनुसार यह गुंजायश थी कि निम्न वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण में आ जाएं। कोई शूद्र कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं बन सकता था किन्तु किसी शूद्र स्त्री की संतान वैश्य बन सकती थी यदि वैश्य का उससे विवाह हो जाता। इसी प्रकार वह संतान क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बन सकती थी यदि उसकी शादी क्षत्रिय या ब्राह्मण से संपन्न हो जाती। निम्न श्रेणी का उच्च श्रेणी में मिश्रण या संमिलन एक सकारात्मक और विश्वसनीय प्रक्रिया थी चाहे वह अप्रत्यक्ष माध्यम से ही क्यों न हो? यह प्राचीन व्यवस्था का परिणाम था। इसके दूसरे परिणाम थे। यह थे कि किसी वर्ण के व्यक्ति मिश्रित और समुच्चय समुदाय बन जाते थे। ब्राह्मण वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय की स्त्रियों से उत्पन्न संतानें हो सकती थीं और उन्हें ब्राह्मणों का प्राप्य अधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय समुदाय में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानें हो सकती थीं और उन्हें क्षत्रियों के अधिकार प्राप्त होते थे। इसी प्रकार वैश्य समुदाय में वैश्य तथा शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानें वैश्य समझी जाती थीं और उन्हें वहीं अधिकार प्राप्त थे।

मनु ने जो परिवर्तन किए, वह हिन्दुओं के मौलिक आदर्शों के विरूद्ध थे। पहली बात तो यह है कि यह हिन्दुओं के क्षेत्र–क्षेत्रज विधान का ही विरोध करता है। इस विधान के अनुसार, जो संतान सम्पत्ति अधिकार से संबंधित है, कहा गया है कि संतान का अधिकारी मात्र औपचारिक पति है वास्तविक पिता नहीं। वह इस बात को ऐसे कहते हैं :

इस प्रकार वे पुरूष, जिनका किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध नहीं हैं, परन्तु किसी ऐसी स्त्री के गर्भ में उनका बीज है जो किसी अन्य की पत्नी है तो संतान पर पति का अधिकार रहेगा। परन्तु वह उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। जब तक क्षेत्र के स्वामी और बीज डालने वाले के बीच कोई सहमति न हो। स्पष्ट रूप से जमीन का स्वामी पिता है, क्योंकि भूमि का महत्व बीज से अधिक है।

यही कारण है कि बारह प्रकार के पुत्रों का अधिकार नियत किया गया।

यह परिवर्तन निर्धारित नियम के विरूद्ध था। हिंदू परिवार रोम की भांति पितृ सत्तात्मक हैं। दोनों समाजों में पिता को परिवार के सदस्यों का अधिकार है। मनु इससे अवगत थे तथा उसकी अधिक दशाओं को स्वीकार कर लिया। हिंदू पिता के अधिकारों की परिभाषा करते हुए मनु कहते हैं :

तीन व्यक्ति, पत्नी, पुत्र और दास सामान्यतः किसी सम्पत्ति के स्वामी नहीं हो सकते। जो सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की हो, उसका भी स्वामी वही है जिससे वे सम्बद्ध हैं।

वह परिवार के प्रमुख की है– अर्थात पिता की। यह नियम भी था कि पिता पुत्र द्वारा अर्जित सम्पत्ति का स्वामी है। पितृत्व सत्तात्मक विधान में परिवर्तन का अर्थ है पिता की निश्चित हानि।

मनु ने पितृ–सावर्ण्य में क्यों परिवर्तित किया?

सामार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–8, पृष्ठ सं. 331 से 336
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
कालेश्वर दयाल
पी.ए.
कार्यालय मुख्य अभियंता
राम गंगा सिचाई विभाग, कानपुर, उ0प्र0

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
आनन्द मोहन
संयुक्त निदेशक
हथकरघा, कानपुर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
मुकेश सिंह
बी. एस. एन. एल
एस. डी. ओ. मोबाइल

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
सन्तलाल
प्रधान सहायक
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
जगमोहन
उप निदेशक लेबर डिर्पाटमेन्ट
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
सुशीला गौतम
बी. एस. एन. एल
सीनियर टेलीफोन पर्यवेक्षक

धर्म परिवर्तन करने वाले की स्थिति

I. गांधी और ईसाई धर्म के प्रति उनका प्रतिरोध,
II. ईसाई धर्म और समाज–सेवा,
III. ईसाई धर्म और गैर–ईसाई धर्म,
IV. ईसाई धर्म और धर्म–परिवर्तन करने वालों की भावना, और
V. ईसाई संप्रदाय और उसकी सामाजिक स्थिति।

I

सन् 1928 में इंटरनेशनल फेलोशिप की बैठक हुई। इस संस्था का उद्देश्य है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाई जाए। इस बैठक में जहां ईसाई मिशनरियों ने भाग लिया, वहां हिंदुओं और मुसलमानों ने भी भाग लिया। श्री गांधी भी मौजूद थे। इस बैठक में यह सवाल उठाया गया कि यह भाईचारा अपने आदर्श की कसौटी पर कहां तक खरा उतर सकता है, यदि आदर्श का पालन करने वाले लोग दूसरों का धर्म बदल कर उन्हें अपने धर्म में शामिल करना चाहें। बहस में श्री गांधी ने भी भाग लिया। उनके दोस्त श्री सी.एफ. एंड्रयूज ने चर्चा के बारे में इस प्रकार लिखा है :

इस सवाल के पीछे भारत में ईसाई मिशनरी की स्थिति को निश्चित चुनौती थी। उदारमना मिशनरी फेलोशिप में अति आनंद का अनुभव कर रहे थे।... फिर महात्मा गांधी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय या फेलोशिप का सदस्य बनते समय यदि मन के किसी कोने में तनिक भी यह कामना या विचार हो कि फेलोशिप के किसी अन्य सदस्य पर प्रभाव डाला जाए या उसका धर्म–परिवर्तन किया जाए, तो आंदोलन की भावना मिट्टी में मिल सकती है। यदि किसी के मन में ऐसी कामना हो, तो उसे फेलोशिप से अलग हो जाना चाहिए।

ईसाई मिशनरियों ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब पूछा, 'यदि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो तो क्या उसे बांटने की कामना भी गलत होगी, तो श्री गांधी ने तुरंत उसका दो–टूक जवाब दे दिया। श्री एंड्रूज कहते हैं, 'गांधीजी अडिग रहे।' उन्होंने दृढ़ता से कहा, 'ऐसी कामना का विचार भी गलत है और मैं इस दृष्टिकोण पर अडिग रहूंगा।'

ईसाईयों द्वारा धर्म–परिवर्तन के प्रति श्री गांधी का विरोध अब तो जग को जाहिर हो गया है। 1936 के बाद से तो वह मिशनरियों के हर प्रकार के प्रचार के कट्टर विरोधी हो गए हैं। उनकी खास आपत्ति यह है कि मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार अस्पृश्यों के बीच कर रहे हैं। ईसाई मिशनों तथा ईसाई धर्म में अस्पृश्यों को शामिल किए जाने का उनका विरोध कतिपय प्रस्थापनाओं पर आधारित है। उनका प्रतिपादन उन्होंने बड़े ही बेबाक शब्दों में किया है। मेरे विचार में सार रूप में उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए निम्न चार प्रस्थापनाएं पर्याप्त होंगी। वह कहते हैं :

I. मेरा दृष्टिकोण है कि सभी धर्म मूलतः समान हैं। सभी धर्मों के प्रति हमारी सहज श्रद्धा धर्म जैसी ही होनी चाहिए। ध्यान रहे, आपसी सहिष्णुता नहीं, अपितु बराबर की श्रद्धा।

II. (मिशनरियों) मैं बस केवल यही अपेक्षा करता हूं कि वे सच्चे ईसाइयों जैसा जीवन जिएं, न कि उसकी टीका करें। आपका जीवन हमें संदेश दे। अंधे लोग गुलाब को तो नहीं देख पाते, पर उसकी गंध को अनुभव करते हैं। गुलाब के सिद्धांत का यही रहस्य है, लेकिन यीशु का सिद्धांत तो गुलाब के सिद्धांत से भी अधिक सूक्ष्म और सुगंधमय है। यदि गुलाब के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं, तो मसीहा के सिद्धांत के लिए एजेंट की कैसी जरूरत।

ईसाई मिशनों के कार्य के बारे में वह कहते हैं :

III. मिशनरी सामाजिक कार्य को निष्काम भाव से नहीं करते, अपितु वह तो सामाजिक सेवा प्राप्त करने वालों के उद्धार का एक साधन है। .... जब आप चिकित्सा–सहायता करते हैं तो आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं कि आपके मरीज ईसाई बन जाएं।

अस्पृश्यों के बारे में वह कहते हैं :

IV. निश्चय ही मेरा विचार है.... कि हरिजनों का तथा भारतीयों का विशाल जनसमूह ईसाई धर्म के प्रस्तुतीकरण को नहीं समझ सकता और सामान्यतः धर्म–परिवर्तन, जहां भी वह किया गया है, आध्यात्मिकता की किसी भी दृष्टि से आध्यात्मिक कार्य नहीं रहा है। वे तो सुविधा के लालच पर किए गए धर्म–परिवर्तन हैं। जहां तक... सापेक्ष गुण–दोषों के बीच भेद करने की बात है, उनकी (हरिजनों) स्थिति गाय से बेहतर नहीं है। हरिजनों के पास न दिमाग है, न बुद्धि है और न ईश्वर और अनीश्वर के अंतर को समझने की योग्यता है।

ईसाई मिशनों को क्या करना उचित होगा, उसके बारे में श्री गांधी सलाह देते हैं, पर उनकी भाषा कुछ अप्रिय है। वह कहते हैं :

यदि ईसाई मिशन ईमानदारी से काम करेंगे.... तो उन्हें हरिजनों के धर्म–परिवर्तन की मद्दी होड़ छोड़नी होगी।....

.....भूल जाइए कि आप गैर–ईसाइयों के देश में आए हैं और सोचिए कि आपकी भांति वे भी प्रभु की खोज में हैं, जरा अनुभव कीजिए कि आप वहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक संपदा देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप वहां भौतिक संपदा देंगे, जिसका आपके पास काफी भंडार है। फिर आप बिना किसी मानसिक संकोच के कार्य करेंगे और उसके द्वारा आप अपना आध्यात्मिक खजाना देंगे। मुझे जानकारी है कि आप मानसिक संकोच से ग्रस्त हैं, यानी आप सेवा के बदले किसी व्यक्ति से धर्म–परिवर्तन की आशा करते हैं, वह मेरे और आपके बीच खाई पैदा करती है।

भारत का इतिहास ही भिन्न प्रकार से लिखा जाता, यदि ईसाई भारत में हमारे बीच भाइयों की भांति रहने के लिए आते और यदि कोई सुरभि है तो उसे हमारी सुरभि में व्याप्त कर देते।

ईसाई मिशनों तथा उनके कार्य के प्रति श्री गांधी का यह विरोध काफी हाल का है। जहां तक मुझे जानकारी है, वह येवला निर्णय से परे का नहीं हो सकता।

वह हाल का भी है और विचित्र भी। मेरी जानकारी है कि इस्लाम में अस्पृश्यों को शामिल किए जाने के प्रति इतनी स्पष्ट और दृढ़ रीति से विरोध की कोई घोषणा उन्होंने नहीं की है। अस्पृश्यों को अपने धर्म में शामिल करने की अपनी योजना को मुसलमानों ने गोपनीय नहीं रखा है। जब 1923 में कोकोनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता करते हुए मौलाना मोहम्मद अली ने कांग्रेस के मंच से खुलेआम इस योजना की घोषणा की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना ने साफ–साफ कहा था:

(हिंदुओं और मुसलमानो के बीच) आलमों और पीपल के पेड़ों और गाजे–बाजे के साथ जुलूसों के बारे में झगड़े वास्तव में बचकाना बातें हैं। लेकिन एक प्रश्न है, जिसे अमैत्रीपूर्ण कार्य की शिकायत के लिए सहज ही आधार बनाया जा सकता है, यदि सांप्रदायिक गतिविधियों का शांति के साथ समन्वय नहीं किया जाता। यह सवाल है दलित वर्गों के धर्म–परिवर्तन का, यदि हिन्दू समाज उन्हें तेजी से आत्मसात नहीं करता। ईसाई मिशनरी पहले ही जुड़े हुए हैं और कोई भी उनसे लड़ाई–झगड़ा नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम मिशनरी सोसाइटी उस प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, वैसे ही हिंदू प्रेस में चीखने–चिल्लाने की पूरी गुंजाइश पैदा हो जाती है। एक प्रभावशाली तथा धनवान सज्जन ने मुझे सुझाव दिया है कि वह दलित वर्गों के धर्म–परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर (मुस्लिम) मिशनरी सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह संभव होना चाहिए कि प्रमुख हिंदू महानुभावों के साथ समझौता हो जाए और देश को दो अलग–अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए, जहां हिंदू और मुलसमान मिशनरी अपने–अपने इलाकों में काम कर सकें। हर संप्रदाय हर वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए, यदि आवश्यक हो, आकलन तैयार करे कि वह कितनी संख्या में लोगों को आत्मसात या धर्म में शामिल करने के लिए तैयार है। निश्चय ही इन आंकड़ों का आधार यह होगा कि प्रत्येक के पास कितने कार्यकर्ता और कितनी पूंजी है, और उसे पिछली अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर परखा जाएगा। इस प्रकार हर संप्रदाय को छूट होगी कि वह आत्मसातकरण और धर्म–परिवर्तन या या सुधार का कार्य कर सके और अपनी टकराव की भी गुंजाइश न रहे।

इससे अधिक स्पष्टवादिता और क्या हो सकती है। कांग्रेस के मंच से इस घोषणा से अधिक व्यावहारिक और दुनियादारी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि श्री गांधी ने कभी उसकी आलोचना उस प्रकार से की है, जिस प्रकार अस्पृश्यों के धर्म–परिवर्तन के लिए ईसाई मिशनों के प्रयास की निंदा वह अब कर रहे हैं। श्री गांधी के शिविर से किसी ने भी इस अमर्यादित मुस्लिम सुझाव का प्रतिरोध नहीं किया है। शायद वे ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेसी हिंदुओं का विचार है कि मुसलमान जिस बात को अपना मजहबी फर्ज मानें, उसे पूरा करने में मुसलमानों की मदद करना उनका कर्तव्य है। उनका विचार है कि धर्म–परिवर्तन मुसलमानों का मजहबी फर्ज है और उससे इंकार नहीं किया जा सकता। जो भी हो, जैसा कि 1920 में जार्ज जोसेफ ने कहा था, उसके अनुसार कांग्रेस के हिंदू नेताओं का विचार था, हिंदुओं का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे जजीरूत–अल–अरब में अरबों पर तुर्की की खिलाफत को बरकरार रखने में मुसलमानों की सहयाता करें, क्योंकि मुस्लिम धर्म–विज्ञानियों तथा राजनेताओं ने हमें आश्वासन दिलाया है कि यह उनका मजहबी फर्ज है। यह अस्वाभाविक बात थी, क्योंकि इसका अर्थ था अरबों पर विदेशी हुकूमत को बनाए रखना, लेकिन हिंदुओं को इसे अपने गले से नीचे उतारना पड़ा, क्योंकि उनसे यह आग्रह किया गया कि वह हिंदुओं के धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा है। यदि यह सच है तो धर्म–परिवर्तन के अभियान में गांधी ईसाइयों की मदद क्यों नहीं करते, क्योंकि धर्म–परिवर्तन भी उनके धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति है।

अतः यह समझ में नहीं आता कि आज इस कारण अलग मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है कि ईसाई उनमें जुटे हुए हैं। अतः श्री जार्ज जोसेफ ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, जब उन्होंने कहा :

एकमात्र अंतर यह है कि मुस्लिमों की संख्या साढ़े सात करोड़ और ईसाइयों की केवल 60 लाख है। मुस्लिमों से दोस्ती करना लाभकारी हो सकता है, क्योंकि वे राष्ट्रवाद के मार्ग का कांटा बन सकते हैं। ईसाइयों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अल्प संख्या में हैं।

श्री गांधी मुसलमान तथा ईसाइयों की सापेक्ष संख्या और भारतीय राजनीति में उनके सापेक्ष महत्व जैसी बातों को प्रभावित होते हैं, यह बात उस शब्दावलि से स्पष्ट हो जाती है, जिसे वह उस निंदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे वह प्रचार की निंदात्मक शैली कहते हैं। जब ऐसा प्रचार ईसाई मिशनरियों की ओर से होता है तो वह उनकी निंदा के लिए निम्न भाषा का प्रयोग करते हैं। (मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में उद्धरण नहीं है–संपादक)

दूसरी ओर जब वह मुस्लिमों की ओर से होने वाले प्रचार का विरोध करते हैं, तो वह केवल इतना कहते हैं :

कैसे खेद की बात है कि मिशन में लोगों को लुभाने के लिए धर्म को भद्दे भौतिकवाद के घटिया स्तर पर पटक दिया जाता है, जिसके पैरों तले करोड़ों मानव–प्राणियों की चिरपोषित भावनाओं को रौंदा जाता है।

मुझे आशा है कि पर्चे को मननशील मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं हैं। उन्हें इसे पढ़कर यह अनुभव कर लेना चाहिए कि ऐसे पर्चे कितना उत्पात पैदा कर सकते हैं।

मेरे संवाददाता ने मुझसे पूछा है कि उपद्रव का कैसे सामना करना चाहिए। एक उपचार का प्रयोग मैंने किया है, यानी इसके निंदात्मक प्रचार को जिम्मेदार मुस्लिम जगत के ध्यान में लाया जाए। वह स्वयं प्रकाशन के प्रति स्थानीय मुसलमान नेताओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक शुद्धि का है। जब तक हिंदू समाज में अस्पृश्यता की स्थिति बनी रहती है, उस पर बाहर से हमले होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे हमलों को वह तभी रोक सकेगा, जब

अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन के रूप में शुद्धि की एक ठोस तथा अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जाए।

पहले विरोध की उग्रता तथा दूसरे की विनम्रता काफी स्पष्ट है। निश्चय ही गांधी को एक चालाक 'पक्षपाती' मानना पड़ेगा।

लेकिन मुस्लिम तथा ईसाई प्रचार के प्रति उनके दृष्टिकोण में इस भेदभाव के अलावा ईसाई मिशनों के विरूद्ध श्री गांधी के तर्कों में क्या कोई वैधता हैं? उनमें निरा चातुर्य है। उनमें कोई गहराई नहीं है। वे एक बेबस व्यक्ति के घोर निराशाभरे तर्क हैं। श्री गांधी शुरूआत ही समान सहिष्णुता और समान श्रद्धा के बीच विभेद से करते हैं। 'समान श्रद्धा' एक नई अभिव्यक्ति है। यह समझ पाना कठिन है कि उसके द्वारा वह क्या विभेद करना चाहते हैं। लेकिन नई अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। पुरानी अभिव्यक्ति 'समान सहिष्णुता' गलती की गुजांइश दर्शाती है। दूसरी ओर, 'समान श्रद्धा' मानती है कि सभी धर्म समान रूप से सच्चे और समान महत्व के हैं। यदि मैंने उन्हें ठीक से परखा है तो उनका आधार–वाक्य न केवल तर्क की, बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी नितांत भ्रामक है। मान लीजिए कि धर्म का लक्ष्य प्रभु तक पहुंचना है, और मैं नहीं मानता कि वह लक्ष्य है और धर्म उस तक पहुंचने का मार्ग है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि हर धर्म निश्चय ही प्रभु तक ले जाएगा। न ही यह कहा जा सकता है कि हर मार्ग, भले ही वह अंततः प्रभु तक ले जाता हो, सही मार्ग है। हो सकता है कि (सभी विद्यमान धर्म झूठे हों) और सर्वांगपूर्ण धर्म का अभी तक पता न चला हो। लेकिन तथ्य यह है कि धर्म पूर्णतः सत्य नहीं हैं। अतः एक धर्म के अनुयायियों को अधिकार हैं, वस्तुतः उनका कर्तव्य है कि वे अपने भटके मित्रों को बता दें कि उनकी दृष्टि में सत्य क्या है। अस्पृश्य की स्थिति गाय से बेहतर नहीं है, यह एक ऐसा कथन है जिसे कहने का दुस्साहस केवल कोई विवेकशून्य अथवा अंहकारी व्यक्ति ही कर सकता है। यह कोरी बकवास है। श्री गांधी यह कहने का दुस्साहस करते हैं क्योंकि वह स्वयं को ऐसा महापुरूष मानने लगे हैं कि अज्ञान जनता उनके कथनों पर आपत्ति नहीं करेगी और बेईमान बुद्धिजीवी वर्ग उनकी हर बात का समर्थन करेगा। उनके तर्क की सर्वाधिक विचित्र बात यह है कि वह ईसाई मिशनों द्वारा जुटाई जाने वाली भौतिक संपदा को ग्रहण करना चाहते हैं। वह उनकी आध्यात्मिक संपदा को ग्रहण करना चाहते हैं, पर उनकी शर्त है कि मिशनरी उन्हें बिना किसी बंधन के भौतिक संदपा ग्रहण करने का न्यौता दें। (वह प्रतिदान के खिलाफ है) यह समझ पाना कठिन है कि किस कारण श्री गांधी कहते हैं कि मिशनरियों की सेवाएं प्रलोभन हैं और धर्म–परिवर्तन सुविधा का लालच देने वाला धर्म–परिवर्तन है। क्यों इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि मिशनरियों की ये सेवाएं दर्शाती हैं कि ईसाइयों की दृष्टि में पीड़ित मानवता की सेवा करना उनके धर्म की अनिवार्य अपेक्षा है? जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जाता है, उसके प्रति क्या यह गलत दृष्टिकोण होगा? यह गलत है, ऐसा तो केवल पूर्वाग्रही ही कहेगा।

श्री गांधी के ये सभी तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि ईसाई मिशनरी अस्पृश्यों को ईसाई न बना सकें। कोई भी इस बात का खंडन नहीं करेगा कि श्री गांधी को अधिकार है कि वह हिंदू धर्म के हित में अस्पृश्यों की रक्षा करें। लेकिन उस अवस्था में उन्हें दो–टूक शब्दों में मिशनों से यह कह देना चाहिए था, 'अपना काम रोक दो, अब हम अस्पृश्यों की तथा अपनी रक्षा करना चाहते हैं। हमें अवसर दो।' खेद है कि उन्होंन मिशनरियों के उत्पात का सामना करने के लिए ईमानदारी का यह तरीका नहीं अपनाया। कोई कुछ भी कहे, पर निश्चय ही सभी अस्पृश्य, चाहे उन्होंने धर्म बदला हो या न बदला हो, इस बारे में सहमत होंगे कि श्री गांधी ने ईसाई मिशनों के प्रति घोर अन्याय किया है। सदियों तक ईसाई मिशनों ने उन्हें यदि शरण नहीं, आश्रय तो दिया ही है।

जरूरी नहीं कि श्री गांधी का यह रवैया भय दिखाकर मिशनरियों अथवा अस्पृश्यों को रोक सके। ईसाई धर्म भारत में अपनी जड़ें जमा चुका है। यदि उसे दबाने के लिए हिंदू राष्ट्रवाद के उन्माद में अपनी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति का दुरूपयोग नहीं करेंगे, तो वह जिंदा रहेगा और सदा ही उसकी संख्या और प्रभाव में वृद्धि होती रहेगी।

साभार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–10, पृष्ठ सं. 385 से 391
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

मकर संक्रांति (सूर्य षष्ठी)

भौगोलिक अध्ययन के दृष्टि से पृथ्वी पर विश्वतरेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आदि रेखाएं निश्चित की गई हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ अथवा समान रूप से नहीं पड़ती। जिस दिन सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है उसी दिन यह त्योहार मनाया जाता है इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह पूर्व तिथियों के हिसाब से 14 जनवरी को पड़ता है। हिन्दी महीनों के अनुसार कार्तिक मास में शुक्लपक्ष के छठवें दिन पड़ता है इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। हिन्दुओं के अनुसार इसी दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है।

विधान

इस दिन नदी में स्नान और दान किया जाता है। इसके लिए तीन दिन उपवास करने का विधान है। व्रत के दूसरे दिन बिना नमक का भोजन तीसरे दिन बिना पानी पिए रहते हैं। हिन्दू पुराणों के अनुसार यह त्योहार पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं का त्योहार है। शहरों से अधिक गांवों में इस पर्व का महत्व दिखाई देता है। गांवों में इस दिन अथवा इससे पहले हर विवाहित स्त्री के मायके से उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य जाता है जिसमें अनाज, कपड़े और भी खाने – पीने की चीजों के साथ लाई – चूरा – गुड़ अथवा मिठाइयां होती हैं। नवविवाहित स्त्रियों को इस दिन लाना – ले जाना भी होता है। किसी भी तरह इस दिन स्नान करने को बहुत महत्व दिया जाता है ठण्ड के डर से जो लोग हफ्तों नहीं नहाते वे भी इस दिन जरूर नहा लेते हैं। साफ सुथरे अथवा नए कपड़े पहनते हैं। दाना और मीठा जरूर खाते हैं। क्योंकि व्रत करने वाली स्त्रियों के लिए बिना नमक के भोजन की अनुमति रहती है तो वे दाना और मीठा उत्तम समझती हैं किन्तु उनके देखा – देखी सभी लोग ऐसा करते हैं आम रूप से लगता है कि सभी लोग व्रत किए हैं। परन्तु सायंकाल होते ही यह त्योहार मांस खाने वालों और शराब पीने वालों के कब्जे में हो जाता है।

हिन्दुओं ने इस त्योहार के लिए जो कथा गढ़ी वह इस प्रकार है–

एक पुत्रहीन स्त्री ने विचार किया कि पुत्र होने के बाद मैं व्रत का पालन करुंगी। उसे पुत्र पैदा हुआ लेकिन उसने व्रत नहीं किया। लड़का बड़ा हो गया उसकी शादी भी हो गई परन्तु शादी करके लौटते समय रास्ते में ही वह मर गया। पालकी में उसके साथ बैठी दुल्हन रोने – पीटने लगी। उसका रोना सुनकर एक बुढ़िया प्रकट हुई उसने उस दुल्हन से कहा – तेरी सास ने षष्ठी का व्रत रखने के लिए कहा था, लेकिन नहीं किया। इसलिए यह तेरा पति मर गया। यदि यह व्रत तू करेगी तो तेरा पति जी उठेगा। दुल्हन ने व्रत करने का वचन दिया । उसका पति जीवित हुआ, घर जाकर सास – बहू ने मिलकर व्रत किया तभी से यह त्योहार बन गया।

रहस्य

यह त्योहार स्त्रियों को अन्धविश्वास की खाई में ढकेल कर उनके शारीरिक शोषण के लिए बनाया गाया है। जिन स्त्रियों को सन्तान नहीं होती थी उन्हें बांझ कहकर उनका सामाजिक सम्मान गिरा दिया जाता था। उन्हें पग – पग पर अपमानित किया जाता था। ऐसी औरतें किसी भी तरह सन्तान पाने की हर सम्भव कोशिश करती थी। उनकी इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने के लिए आर्य ब्राह्मणों ने इस त्योहार की रचना की। ये पण्डे – पुजारी ढोंगी लोग महिलाओं को तीन दिन का व्रत रखने को कहते हैं और तीनों दिन शाम को नदी में नहाकर नदी के किनारे अथवा नदी किनारे वाले मन्दिरों में देर रात तक व्रत पूजन करवाते हैं, स्त्रियो को वस्त्रहीन होकर नहाने की सलाह दी जाती है। कड़ाके की ठण्ड, नदी किनारे की सर्द हवाएं, शाम का समय और निर्वस्त्र हो नदी में नहाना। फिर देर रात तक पूजन – हर काम ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार ही करना होता है, तो ऐसे में ब्राह्मण विवश निस्संतान युवा महिलाओं को सन्तान प्राप्ति का वरदान क्यों नदीं देगा ? यह व्रत पालन का रिवाज बड़ी जाति के हिन्दुओं में ही अधिक पाया जाता है, छोटी जातियों में इसका प्रचलन केवल व्रत रखने और खाने – पीने तक सीमित है। यह पर्व भी बौद्धों के लिए निषिध है।

सामार त्योहारों के रहस्य रोशन बौद्ध

समस्त क्षेत्रवासियों को **नव वर्ष एवं गणतन्त्र दिवस** की हार्दिक शुभकामनायें

अशोक सिंह पटेल महासचिव

लोक कल्याण सेवा एवं शिक्षा संस्थान

जी–1271, आवास विकास योजना नं. 1, कल्याणपुर, कानपुर - 208017

फोन : 0512–2573003 (कार्यालय), 0512–2603228 (निवास)

का० वि० प्रा०

कानपुर विकास प्राधिकरण

गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर
प्राधिकरण के बकायेदार आवंटियों हेतु
महत्वपूर्ण सूचना

एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) के अन्तर्गत दण्ड ब्याज पर छूट का लाभ उठायें!

OTS सुविधा का लाभ उठायें
अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2016

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित समस्त प्रकार की आवासीय किराया, क्रय पद्धति पर आवंटित आवासीय सम्पत्ति, ग्रुप हाउसिंग, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों, स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबुल संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित सम्पत्ति, समस्त प्रकार की व्यवसायिक, सहकारी, आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों पर जिन आवंटियों द्वारा अपनी किश्तें निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जमा की गई है, उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठायें जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

क्र. स.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (5% वैट सहित)	ओ.टी.एस. आवेदन–पत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रू.)	कुल जमा की जाने वाली धनराशि	अभ्युक्ति
1.	ई.डब्लू.एस. भवन/भूखण्ड	105/–	5,000/–	5,105/–	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत / देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2.	एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड	525/–	10,000/–	10,525/–	
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्सड लैण्डयूज की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्ड पर	1,050/–	25,000/–	26,050/–	
4.	ग्रुप हाउसिंग	5,250/–	1,00,000/–	1,05,250/–	
5.	संस्थागत सम्पत्तियां	5,250/–	1,00,000/–	1,05,250/–	
6.	क्रम संख्या–3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	5,250/–	1,00,000/–	1,05,250/–	

नोट : ओ.टी.एस. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं प्रारम्भिक धनराशि केवल प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक, की विस्तार शाखा में जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

- आवेदन–पत्र के साथ आवंटन पत्र की फोटोप्रति एवं समस्त जमा रसीदों की छायाप्रतियों के साथ स्व पता लिखे दो लिफाफे डाक टिकट सहित प्राधिकरण के भूतल स्थित एकल विण्डों काउण्टर पर जमा किये जायेगे।
- नियत अवधि **31 मार्च, 2016** के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जगदीश
सचिव

Helpline : 2556292, 2557853
Website : www.kdaindia.co.in

जयश्री भोज
उपाध्यक्ष

"जल अमूल्य निधि है" "जल ही जीवन है"

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

जल संरक्षण के हित में उपभोगताओं से अपील

1. बैठकों सेमीनारों, प्रदर्शनियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जहाँ पेय जल आवश्यक हो, एक लीटर के पानी की बोतल के स्थान पर 250–300 मिली० के पानी के बोतल का इस्तेमाल किया जाये, जिससे इस अमूल्य धरोहर/संसाधन के अपव्यय से बचा जा सके।
2. जन सामान्य से यह अनुरोध किया जाता है कि पानी हेतु छोटे बर्तन/गिलास का उपयोग करें। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग बड़े गिलास/बर्तन में पानी लेकर एक या दो घूँट पानी पीने के बाद शेष पानी फेक देते हैं। इस लिये उतना ही पानी लिया जाये जिसे पिया जा सके।
3. प्रायः यह देखा जाता है कि लोग पीने के पानी (ट्रीटेड) से अपने लान, किचेन, गार्डेन, फूलों की क्यारियों की सिचाई तथा गर्मियों में घर के सामने की सड़क भिगातें है ताकि धूल न उड़े। जनमानस से अनुरोध किया जाता है कि पेयजल की महत्ता को पहचाने एवं इस अमूल्य धरोहर/संसाधन के अपव्यय से बचने का प्रयास करें।
4. एक दिन पूर्व भरे गये पानी को बासी समझ कर न बहायें। इस अन्य कार्यों में उपयोग में लायें।

आज कल जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु अपेक्षित सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। इसके लिये निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।

क्रम सं०	क्या करें	क्रम सं०	क्या न करें
1.	जल विभाग अथवा इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प का पानी पीने में प्रयोग करें।	1.	अनाधिकृत रूप से ठेलियों/ट्राली पर पानी बेचने वालों के जल का सेवन न करें।
2.	पानी की लाइन लीक होने पर उसे नियमानुसार तुरन्त ठीक करायें।	2.	जल अमूल्य निधि है। इसका दुरूपयोग/अपव्यय न करें।
3.	आपकी पाइप लाइन नाली अथवा किसी अन्य गन्दे स्थान से हो कर जा रही हों तो किसी पंजीकृत प्लम्बर से उसका मार्ग परिवर्तित करा लें अथवा इस पर केसिंग पाइप अवश्य लगवा लें। सर्विस पाइप लाइन पुरानी अथवा क्षत्तिग्रस्त हो गयी हो तो उसे तत्काल बदलवा लें। अन्यथा गन्दा पानी पेयजल को प्रदूषित करेगा।	3.	पानी की लाइन में बूस्टर पम्प लगा कर, सीधे पानी न लें। यदि आवश्यक हो तो टब अथवा टंकी में जलकल विभाग के नल से पानी एकत्र कर उसे बूस्टर पम्प द्वारा ऊपर चढ़ायें।
4.	हैंण्ड पम्प का प्लेट फार्म साफ रखें।	4.	हैण्ड पम्प के चारों तरफ गन्दा पानी एवं गन्दगी न एकत्र होने दें।
5.	यदि पीने के पानी में जरा भी संदेह हों तो उसे उबाल कर पियें व गन्दा पानी आने पर जलकल विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय अथवा जलकल विभाग कन्ट्रोल रूप फोन नं०–2549018 में तुरन्त फोन पर सम्पर्क करें।	5.	सीवर मेनहोल में कूड़ा करकट न डालें, खुला होने पर तत्काल कन्ट्रोल रूम को सूचित करें।
6.	जलकल विभाग की पाइप लाइन में लीकेज होने पर तत्काल जलकल विभाग के कंट्रोल रूम नं०–2549018 पर इसकी जानकारी दे कर सहयोग करें।	6.	पानी लेने के बाद नल खुला न छोड़ें।
7.	पानी एकत्र करने के लिए ढक्कन युक्त साफ बर्तन का प्रयोग करें।	7.	पानी के बर्तन में हाथ न डालें, पानी निकालने के लिए लम्बे हैण्डिल के बर्तन का प्रयोग करें।
8.	ताजा भोजन करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर शौच क्रिया के बाद अच्छी तरह साबुन के हाथ धोयें।	8.	बासी भोजन न करें। खुली मिठाई/खाने की वस्तुयें आदि न खायें।

– जलकल विभाग का 24 घन्टे कार्यरत कन्ट्रोल रूम का फोन नं०–2549018 है।
– जलकल अनाधिकृत व्यक्ति को हैण्डपम्प उखाड कर न ले जाने दे।
– जोनल अधिशासी अभियन्ताओं के मो० नं० अधिशासी अभियन्ता जोन–1 9235553835, जोन–2 9235553821, जोन–3 9235553850, जोन–4 9235553880, जोन–5 9235553826, जोन–6 9235553816, मु०–9235553815 से समस्या के निस्तारण हेतु सम्पर्क करें।

पानी अनमोल है इसे व्यर्थ न होने दें।

जलकल विभाग कानपुर के देयों का समय से भुगतान कर सहयोग प्रदान करें।

इ0 जवाहर राम
महाप्रबन्धक

उमेश प्रताप सिंह
नगर आयुक्त

कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण
महापौर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
संजीव कनौजिया
क्षेत्रीय लेखाधिकारी
जल निगम कानपुर उ0 प्र0

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
आम औरत महासभा ट्रस्ट
कानपुर
न्यासधारी : उमेश्वरी देवी

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन
ओ.ई.एफ. कानपुर
संस्थापक : सियाराम

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
सपना वो होता है जो जिन्दगी बदल दे जो .....
अपने सपने को कभी ये मत बताओ कि मेरी तकलीफ कितनी है
पर अपनी तकलीफ को ये जरूर बताओ कि मेरा सपना कितना बड़ा है।
अखिलेश कुमार गौतम
बी. एस. एन. एल. उपमण्डल अभियन्ता मोबाइल

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.....
सच्चाई और ईमानदारी पर चलने का एक फायदा
यह है कि रास्ते में ज्यादा भीड़ नहीं मिलती।
श्रीमती रजनी
अध्यापिका
आर्य कन्या इण्टर कालेज गोविन्द नगर, कानपुर

सेवा में,
नाम श्री.....
पता .....
.....
.....